

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4396
जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

सोलापुर में जल संकट

4396. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अनियमित वर्षा, भू-जल की कमी और प्रदूषण के कारण सोलापुर जिले में गंभीर जल संकट को दूर करने और शहरी तथा ग्रामीण, दोनों आबादी के लिए सतत् और पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (ख) अशोधित औद्योगिक अपशिष्ट के कारण भीमा नदी और अन्य जल स्रोतों के भारी प्रदूषण को देखते हुए, औद्योगिक बहिसाव को विनियमित करने और अपशिष्ट जल उपचार संबंधी उन्नत सुविधाओं की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और
- (ग) क्या सरकार के पास सोलापुर जिले में उसकी अर्ध-शुष्क जलवायु और जल की बढ़ती मांग को देखते हुए वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन वर्ष 2022 से प्रत्येक वर्ष केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य नोडल/भूजल विभाग द्वारा भूजल आकलन समिति-2015 (जीईसी-2015) पद्धति के अनुसार समय-समय पर संयुक्त रूप से किया जा रहा है। “भारत के गतिशील भूजल संसाधनों का राष्ट्रीय संकलन, 2024” की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 146513.01 हेक्टेयर मीटर (हैम) आंका गया है।

सीजीडब्ल्यूबी महाराष्ट्र के सोलापुर सहित पूरे देश में भूजल स्तर की निगरानी प्रत्येक वर्ष चार बार मार्च/अप्रैल/मई, अगस्त, नवंबर और जनवरी के महीनों के दौरान करता है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के लिए मॉनसून-पश्चात 2024 के जल स्तर के आंकड़ों की गहराई से यह देखा गया है कि लगभग 98% निगरानी वाले कुएं 0-10 एमबीजीएल की सीमा में जल स्तर दिखा रहे हैं और लगभग 2.0% कुएं 10 एमबीजीएल से अधिक जल स्तर की गहराई दिखा रहे हैं। मॉनसून-पश्चात (2014-2023) के औसत के साथ मॉनसून-पश्चात 2024 के दशकीय उतार-चढ़ाव से संकेत मिलता

है कि लगभग 97.5% निगरानी वाले कुएं बढ़ते जल स्तर को दर्शाते हैं और 2.5% निगरानी वाले कुएं घटते जल स्तर को दर्शाते हैं।

'जल' राज्य का विषय है, इसलिए जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने सोलापुर सहित देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के पूरे मानचित्रण योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण (एनएक्यूयूआईएम) परियोजना पूरी कर ली है। जलभूत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएँ तैयार कर ली गई हैं और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा की गई हैं। प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।

भागीदारीपूर्ण भूजल प्रबंधन के महत्व पर जागरूकता को बढ़ावा देने और भूजल पर निर्भरता कम करने तथा भूजल स्तर को बहाल करने के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु सीजीडब्ल्यूबी द्वारा टियर-3 स्तर के प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। सोलापुर जिले के सांगोला और पंढरपुर तालुका में स्थानीय भूजल मुद्दों और प्रबंधन पर कुल 02 टियर-3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान- 2020 तैयार किया है, जो एक व्यापक स्तर की योजना है, जिसमें अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाया गया है। मास्टर प्लान में महाराष्ट्र सहित देश भर में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। मास्टर प्लान में सोलापुर जिले के लिए 2073 पुनर्भरण संरचनाओं को शामिल किया गया है।

जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 24.09.2020 की अधिसूचना (एसओ 3289) के माध्यम से औद्योगिक, बुनियादी ढांचे और खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल निष्कर्षण के विनियमन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। दिनांक 29.03.2023 की अधिसूचना (एसओ 1509) के माध्यम से दिशा-निर्देशों में संशोधन जारी किए गए। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) इन दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करता है। ये दिशा-निर्देश पूरे भारत में लागू हैं।

जल शक्ति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत महाराष्ट्र की 28 परियोजनाओं को शामिल किया है। इनमें से दो परियोजनाएं कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना और सांगोला शाखा परियोजना महाराष्ट्र के सोलापुर जिले को लाभ पहुंचा रही हैं। अप्रैल, 2016 से अभी तक इन दोनों परियोजनाओं के तहत 71.40 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है और 14.56 लाख हेक्टेयर कमांड विकसित की गई है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने विभिन्न दिशा-निर्देश जारी करने और राष्ट्रीय मिशनों अर्थात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जल के सतत प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

अमृत के अंतर्गत, सोलापुर जिले में 385.53 करोड़ रुपये की लागत वाली 10 परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें से 364.20 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं। इन परियोजनाओं में 71.64 करोड़ रुपये की एक जलापूर्ति परियोजना, 304.89 करोड़ रुपये की 3 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजना और 9 करोड़ रुपये की 6 हरित स्थान और पार्क परियोजनाएं शामिल हैं। अमृत और अभिसरण के माध्यम से 8,322 नल जल कनेक्शन (नए/सेवायुक्त) और (34,115 नए/सेवायुक्त) सीवर कनेक्शन (फेकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन- एफएसएसएम के तहत कवर किए गए घरों सहित) प्रदान किए गए हैं। 18.5 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज उपचार संयंत्र क्षमता विकसित की गई है। अमृत 2.0 के तहत अभी तक सोलापुर जिले में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 611.07 करोड़ रुपये की लागत वाली 4 जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत परियोजनाओं में 69,815 नल जल कनेक्शन (नए/सेवायुक्त) और 33.8 एमएलडी जल उपचार संयंत्र क्षमता शामिल हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के साथ मिलकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) की स्थापना की है, ताकि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नीतियां बनाई जा सकें। एनडब्ल्यूएमपी के तहत जल गुणवत्ता डेटा का उपयोग जैविक भार के स्तर के आधार पर प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) की पहचान के लिए किया जाता है, जिसे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) सांदर्भ में मापा जाता है। तदनुसार, भीमा नदी के प्रदूषित नदी खंड के लिए कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें पुणे शहर द्वारा भीमा और उसकी सहायक नदियों में सीवेज छोड़ने के लिए सीवेज उपचार संवर्धन योजना शामिल है।

भारत सरकार 01 अप्रैल 2020 से सात राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 ज़िलों के 229 ब्लॉकों के अंतर्गत 8203 ग्राम पंचायतों के चिन्हित जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अटल भूजल योजना को क्रियान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य समुदाय आधारित सतत भूजल प्रबंधन के माध्यम से भूजल स्तर के गिरावट को रोकना है।

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) 2019 से वार्षिक आधार पर जल शक्ति अभियान (जेएसए) को लागू कर रहा है। एनडब्ल्यूएम देश के सभी ज़िलों (ग्रामीण और शहरी दोनों) में जेएसए की शृंखला में 5 वें जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2024 को लागू कर रहा है। जेएसए: सीटीआर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और निधियों जैसे मनरेगा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूँद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार घटक, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार की योजनाएं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों आदि का एक अभिसरण है। इस अभियान ने शहरी और ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण को प्रेरित किया है।

भारत सरकार ने जल निकायों के संरक्षण के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विभिन्न प्रावधान लागू किए हैं तथा केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जलीय संसाधनों के प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 दोनों के प्रावधानों को लागू कर रहे हैं। भारत सरकार ने जल निकायों में प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत सामान्य निर्वहन मानकों और उद्योग विशेष बहिःस्राव निर्वहन मानकों को निर्धारित किया है।
